

नियम-6 का उपनियम (6) देख्य
विकास अनुज्ञा पत्र की अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रपत्र
कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र मवाना

पत्रांक : 113 / वि०क्ष०मवाना / 2005-16

दिनांक 19-06-2015

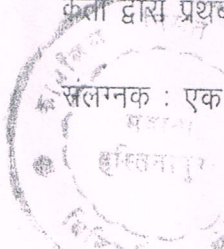
श्री संजय वंसल डी श्री मकाश चन्द वंसल
निर्देशक रोमारी कन्स्ट्रक्शंस प्रा० लि० मेरठ
निवासी - 16 देवगढ़ तिलक रोड मेरठ

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत विकास/विन्यास मानचित्र पत्रावली सं० 113/14-15
दिनांक 24/3/15 जो कि शजरा सं० 973, 974 ग्राम मवाना खुर्द
स्थित ग्राम मवाना खुर्द, मवाना - मेरठ मार्ग नगर मवाना के
सम्बन्ध में आपको निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भूमि के विकास करने
की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित भूमि के विकास हेतु दी अनुज्ञा स्वीकृति के दिनांक से पांच वर्ष तक वैध मानी जायेगी। तथा समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा।
2. प्रस्तावित स्थल का समस्त वाहय एवं अन्तः विकास यथा सड़को/गलियों का निर्माण खडन्जा लगाना, नालियों/गटर/पानी के निकास एवं मल निकास की व्यवस्था तथा प्रकाश की व्यवस्था एवं पार्को एवं खेल के मैदान की व्यवस्था तथा सार्वजनिक उपयोगिता के विकास की व्यवस्था आदि सभी स्वयं के व्यय पर करनी होगी साथ ही समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने होंगे। आवेदक को रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
3. समस्त विकास के दौरान मानचित्र सदैव स्थल पर रखा जाएगा तथा किसी भी समय निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. विकास कार्य आरम्भ करने या समाप्त होने की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर इस विभाग को दी जायेगी।
5. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार यदि विकास कार्य के दौरान कोई भी परिवर्तन किया जायेगा तो नियमानुसार परिवर्तन करने से पूर्व उसकी सूचना विभाग को दी जायेगी तथा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई परिवर्तन किया जायेगा।
6. किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व विवाद के लिये पूर्णतः आपका उत्तरदायित्व होगा। स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने पर अथवा स्वामित्व किसी सक्षम न्यायालय से समाप्त होने पर स्वीकृति प्रभावी नहीं होगी।
7. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि आवश्यक हुआ तो विकास कार्य के दौरान यदि अन्य कोई शर्त लागू की जायेगी तो वह अनापत्ति मान्य होगी।
8. बंधक किये गये भूखण्ड सं० 60, 61, 62, 63, 74, 174, 175, 180, 181, 206 एवं 223 को समस्त आन्तरिक/वाहय विकास पूर्ण कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा तथा अवमुक्त कराये बिना बंधक भूखण्ड को विक्रय नहीं किया जायेगा। प्रत्येक भूखण्ड पर भवन निर्माण की स्वीकृति भूखण्ड केता द्वारा प्रथम से प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन निर्माण किया जायेगा।

संलग्नक : एक प्रति मानचित्र।



19/06/15

नियत प्राधिकारी/उप निष्ठाधिकारी
नियत प्राधिकारी/उप निष्ठाधिकारी